न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायालय, सुपौल।

परिवाद पत्र (SC/ST) सं0 – 01सी/2023

18/04/2024

परिवादिनी मसो0 समतोलिया देवी की ओर से वजरिये अधिवक्ता हाजरी दी गयी। वाद पुकारा गया। पुकार पर उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेख आदेश हेतु उपस्थापित किया गया।

प्रस्तुत वाद परिवादिनी के द्वारा अभियुक्त 1. राजु चौधरी, 2. लक्ष्मी सादा, 3. सबुतरी देवी, 4. गीता देवी, 5. संजुला देवी के विरुद्ध दायर किया गया है। परिवादिनी का शपथ पर बयान लेने के पश्चात जांच साक्ष्य के क्रम में उपस्थित 03 साक्षी क्रमशः 1. कैलु सादा, 2. अमला देवी, 3. बेचनी देवी का जांच साक्ष्य कराया गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। परिवादिनी का शपथ पर बयान एवं जॉच साक्ष्य के क्रम में उपस्थित जांच साक्षियों के साक्ष्य का अवलोकन किया गया। अभिलेख अवलोकन से परिवाद पत्र के नामित **अभियुक्तगण 1. राजु चौधरी, 2. लक्ष्मी सादा, 3. सवुतरी देवी, 4. गीता देवी, 5. संजुला देवी के विरूद्ध धारा 379/34 भा0द0वि0 एवं 3(1)(r)(s) SC/ST Act के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला परिलक्षित** होता है तथा उक्त सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही हेतु अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। अतः अभिलेख विचारण एवं निष्पादन हेतु निजी संचिका में रखा जाता है। परिवादिनी को निर्देश दिया जाता है कि आवश्यक अपेक्षिकाऐं दाखिल करें। तत्पश्चात् कार्यालय लिपिक उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध सम्मन जारी करें।

दिनांक......01/05/24.........आपेक्षित दाखिल करने वास्ते।

Nishi Kant Thakur
18/4/24

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम–
सह–विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0),
सुपौल